भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5671
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

'मिशन शक्ति' की स्थिति

5671. **श्री सुधाकर सिंह:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'मिशन शक्ति' की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके कार्यान्वयन के बाद से उक्त योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है और 'संबल' (महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा) तथा 'सामर्थ्य' (महिलाओं का सशक्तीकरण) दोनों उप-योजनाओं के अंतर्गत कितनी निधि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है;

(ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में 'वन स्टॉप सेंटर', महिला हेल्पलाइन/अन्य सहायता तंत्रों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को कम करने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के संबंध में उक्त योजना के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बेहतर अंतर-मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना की वास्तविक समय पर प्रगति का पता लगाने के लिए निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 से महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए देश भर में केंद्र प्रायोजित योजना 'मिशन शक्ति' का कार्यान्वयन कर रहा है। 'मिशन शक्ति' का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए पहल को मजबूत करना है। इसमें महिलाओं की सुरक्षा एवं महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए क्रमशः दो घटक 'संबल' और 'सामर्थ्य' शामिल हैं। महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए "संबल" घटक है और इसके घटकों में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) शामिल हैं जो जिला स्तर पर स्थित एक संस्था है जो संकट में महिलाओं को एक ही स्थान पर पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता, अस्थायी आश्रय, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श और कानूनी सहायता एवं परामर्श जैसी तत्काल सहायता और सहयोग प्रदान करती है, महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) 181 सहायता और जानकारी माँगने वाली महिलाओं को 24 घंटे की टोल-फ्री दूरसंचार सेवा प्रदान करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) घटक जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) में सुधार, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और बालिकाओं के महत्व के प्रति मानसिकता में बदलाव के लिए जागरूकता फैलाने पर केंद्रित है। नारी अदालत घटक को जमीनी स्तर पर महिलाओं के सामने आने वाले छोटे-मोटे विवादों को सुलझाने के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण मंच प्रदान करने के लिए प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किया गया है। "सामर्थ्य" घटक महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) शामिल है, जो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देने एवं मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में नकद प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए है। सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास) जिसका उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं वहां कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है, शक्ति सदन- दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लिए आश्रय गृह है। पालना घटक के अंतर्गत, सरकार कामकाजी माताओं को गुणवत्तापूर्ण शिशु देखभाल सेवाएँ प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में क्रेच सुविधा स्थापित कर रही है। संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी एवं ज्ञान के अंतर को पाटने के लिए माध्यम के रूप में कार्य करता है।

वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक आवंटित निधियां, जारी की गई निधियां, उपयोग की गई निधियां तथा लाभान्वित/सहायता प्राप्त महिलाओं की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

घटक	**संशोधित अनुमान (आरई) में आवंटित निधियां (करोड़ रुपए में)**	**जारी की गई निधियां (करोड़ रुपए में)**	**लाभार्थियों/सहायता प्राप्त महिलाओं की संख्या (लाख में)**
संबल- घटक	999.78	754.52	39.10**
सामर्थ्य- घटक	5444.52	4942.05	206.76

* वर्ष 2024-25 के लिए अनंतिम आंकड़े शामिल किए गए हैं।

**बीबीबीपी घटक के तहत, बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, लेकिन संख्या मापा नहीं जा सकता है।

(ग): ओएससी अब जिला स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए मंत्रालय के पहल का मुख्य आधार है। ओएससी अब अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों/पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्पडेस्क, मानव दुर्व्यापार विरोधी इकाइयों (एएचटीयू) और जिला स्तर पर उपलब्ध अन्य संस्थागत सहायता सेवाओं जैसे विभिन्न संस्थानों के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करते हैं। अब तक, देश के पूरे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हुए 818 ओएससी कार्यशील हैं। मिशन शक्ति के अंतर्गत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (पश्चिम बंगाल को छोड़कर) की डब्ल्यूएचएल को कम्प्यूटरीकृत एप्लीकेशन के माध्यम से जो पहले अलग-अलग कार्यशील थी, उसे एकीकृत किया गया है। इसे महिलाओं और बच्चों के लिए, राष्ट्रीय आपातकालीन हेल्पलाइन112, विशेषरूप से साथ आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) भी एकीकृत किया गया है। इसी तरह, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को भी ईआरएसएस के साथ एकीकृत किया गया है। डब्ल्यूएचएल 181 को 501ओएससी के साथ भी एकीकृत किया गया है। इसी प्रकार चाइल्डलाइन 1098 को जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू) के साथ एकीकृत किया गया है। ये तीनों हेल्पलाइन मिलकर अब जरूरतमंद महिलाओं और बालिकाओं को 24x7x365 निर्बाध सहायता और समर्थन के लिए कॉल के अंतर-हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती हैं, उन्हें उपयुक्त अधिकारियों से

जोड़ती हैं एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी भी प्रदान करती हैं।

(घ) और (ङ): सरकार ने बेहतर निगरानी के माध्यम से दक्षता और पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए योजना के विभिन्न घटकों के तहत सुविधाओं एवं सेवाओं के साथ-साथ सहायता प्राप्त/समर्थित महिलाओं के विवरण का पूरा ब्यौरा प्राप्त करने के लिए 'मिशन शक्ति पोर्टल' स्थापित किया है।

दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से व्यापक मिशन शक्ति योजना की शुरुआत के साथ, पीएमएमवीवाई के तहत किस्तों की संख्या तीन (3) से घटाकर दो (2) कर दी गई है। इसके अलावा, पीएमएमवीवाई के तहत मातृत्व लाभ दूसरे बच्चे के लिए भी दिया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा बालिका हो। मार्च, 2023 में नया पोर्टल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सॉफ्टवेयर(पीएमएमवीवाई सॉफ्ट) शुरू किया गया । लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक या डाकघर खातों में पारदर्शी तरीके से सीधे धनराशि का निर्बाध अंतरण करने के लिए, पीएमएमवीवाई सॉफ्ट के तहत, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीआई) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के माध्यम से लाभार्थी प्रमाणीकरण किया जाता है। इसके अलावा, लाभार्थियों को उनके आवेदनों और भुगतानों की स्थिति पर नज़र रखने की सुविधा के लिए, पीएमएमवीवाई पोर्टल पर एक 'ट्रैक एंड सर्च' सुविधा उपलब्ध है। साथ ही, किसी भी लाभार्थी द्वारा पीएमएमवीवाई से संबंधित किसी भी शिकायत को दर्ज करने और ट्रैक करने के लिए एक शिकायत निवारण मॉड्यूल लागू किया गया है।

एचईडब्ल्यू के तहत सहायता का उद्देश्य महिलाओं को उनके सशक्तीकरण और विकास के लिए विभिन्न संस्थागत तथा योजनाबद्ध व्यवस्थाओं से जोड़ना, उनका मार्गदर्शन करना एवं उनका सहयोग करना है जिसमें देश भर में जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों के स्तर पर स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर और व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमशीलता, फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड लिंकेज, श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा , डिजिटल साक्षरता तक पहुंच को सुगम बनाना शामिल है।

देश में महिलाओं और बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न अन्य योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए हैं। उनमें से कुछ का विवरण इस प्रकार है:

(i) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से झारखंड राज्य में, महिलाओं के लिए कठिन परिश्रम को कम करने और जीवन को आसान बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.8 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10.3 करोड़ परिवारों को खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया गया है और जल जीवन मिशन के माध्यम से 15 करोड़ से अधिक परिवारों को सुरक्षित और पीने योग्य नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया है।

(ii) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी आवासहीन परिवारों और कच्चे व जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर के प्रावधान के माध्यम से 'सभी के लिए आवास' उपलब्ध कराना है और शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की आवास आवश्यकताओं को पूरा करना है।

(iii) आयुष्मान भारत के तहत सरकार 55 करोड़ से अधिक नागरिकों को 1200 से अधिक चिकित्सा पैकेजों के माध्यम से निःशुल्क उपचार प्रदान कर रही है। इनमें से 141 से अधिक चिकित्सा पैकेज विशेष रूप से महिलाओं की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत सात प्रकार की जांच (टी.बी., उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुख कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर और मोतियाबिंद) की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे करोड़ों महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 150,000 से ज़्यादा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) हैं, जिन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कहा जाता है, जो स्वास्थ्य सेवा को समुदाय के और करीब लाते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेए) दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो गरीब और वंचित महिलाओं पर विशेष रूप से केन्द्रित है।

(iv) देश भर में 15,000 से ज़्यादा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) कार्यशील हैं। पीएमबीजेके में महिलाओं के लिए 40 से ज़्यादा विशेष वस्तुओं सहित किफ़ायती दवाइयाँ एवं चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के अलावा, 1 रुपये प्रति पैड की बेहद किफ़ायती कीमत पर 'सुविधा सैनिटरी नैपकिन' नाम से सैनिटरी नैपकिन बेचने का भी प्रावधान है।

(v) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत महिलाओं को कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(vi) प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए) ग्रामीण आबादी को डिजिटल साक्षरता प्रदान करता है।

(vii) प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएम-जेडीवाई) के अंतर्गत भी महिलाएं सबसे बड़ी लाभार्थी हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है, जिससे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, ऋण और बीमा सेवाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ तक पहुंच भी सुगम हुई है।

(viii) स्टैंड-अप इंडिया और मुद्रा योजना बैंक ऋण एवं उद्यमशीलता कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाती हैं तथा इससे महिला उद्यमियों को मुख्य रूप से लाभ हुआ है।

(ix) स्टार्ट-अप इंडिया, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) जैसी योजनाएं रोजगार/स्वरोजगार एवं ऋण सुविधाएं प्रदान करती हैं। इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों में से अधिकांश महिलाएं हैं।

(x) बीमा कवरेज और पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) कार्यान्वित की गई है।

मंत्रालय कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्षेत्र के दौरे सहित विभिन्न तरीकों से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय से कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करता है और समय-समय पर सलाह जारी करता है। मंत्रालय राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता है। इसमें विभिन्न सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) क्रियाकलाप जैसे प्रभातफेरी, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स का प्रसारण, सेल्फी अभियान, डोर टू डोर अभियान, सामुदायिक कार्यक्रम जो क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं,शामिल हैं। इसके अलावा, मंत्रालय समय-समय पर पीएमएमवीवाई के तहत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान भी चलाता है।

******